बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001

शुद्धि पत्र

विज्ञापन संख्या 02/2017, वि०सं० 03/2017 एवं वि०सं० 04/2017 के अन्तर्गत सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति के संबंध में

आयोग द्वारा दिनांक 03.03.2017 को प्रकाशित विज्ञापन सं० 02/2017 – सहायक अभियंता (असैनिक), विज्ञापन सं० 03/2017 – सहायक अभियंता (यांत्रिक) एवं विज्ञापन सं० 04/2017 – सहायक अभियंता, असैनिक (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) के अन्तर्गत शैक्षिक योग्यता में यह उल्लिखित है कि इच्छुक अभ्यर्थियों को सिविल/यांत्रिक अभियंत्रण विषय में उपाधिधारक होना आवश्यक है। इसे निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है –

वि०सं० 02/2017 एवं 04/2017 के लिए शैक्षिक योग्यता में वर्णित "सिविल अभियंत्रण/यांत्रिक अभियंत्रण, असैनिक अभियंत्रण/ यांत्रिक अभियंत्रण एवं असैनिक/यांत्रिक" के स्थान पर केवल "असैनिक (सिविल) अभियंत्रण" पढ़ा जाए।

वि०सं० 03/2017 के लिए शैक्षिक योग्यता में वर्णित "सिविल अभियंत्रण/यांत्रिक अभियंत्रण, असैनिक अभियंत्रण/यांत्रिक अभियंत्रण एवं असैनिक/यांत्रिक" के स्थान पर केवल "यांत्रिक अभियंत्रण" पढ़ा जाए।

इस शुद्धि पत्र का अभिप्राय यह स्पष्ट करना है कि सहायक अभियंता असैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को असैनिक (सिविल) अभियंत्रण में वांछित उपाधिधारक होना चाहिए। उसी प्रकार, सहायक अभियंता यांत्रिक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को यांत्रिक अभियंत्रण में वांछित उपाधिधारक होना चाहिए।

उपर्युक्त तीन विज्ञापनों के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग की महिला कोटि (BCL) की महिलाएँ आवेदन प्रपत्र के प्रथम पृष्ठ पर कंडिका 2(iv) में अपनी मूल आरक्षण कोटि, यथा अनुसूचित जाति की महिलाएँ कोटि – 02, अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ कोटि – 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ कोटि – 04 एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ कोटि – 04 ही भरेंगी। उनकी मूल आरक्षण कोटि के आधार पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं (06) के लिए आरक्षण का दावा स्वतः हो जायेगा। तदनुसार दिनांक 03.03.2017 को प्रत्येक विज्ञापन के लिए आयोग के वेबसाईट – www.bpsc.bih.nic.in पर अलग–अलग उपलब्ध आवेदन प्रपत्र में आवश्यक संशोधन कर अद्यतन (update) कर दिया गया है। अतः सभी इच्छुक अभ्यर्थी संशोधित आवेदन प्रपत्र में ही आवेदन भरेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पुराने प्रपत्र में आवेदन पत्र भर कर आयोग को प्रेषित कर दिया गया है, वैसी स्थिति में उन्हें नये आवेदन प्रपत्र को भरना आवश्यक नहीं है।

उपर्युक्त तीन विज्ञापनों के लिए शैक्षिक योग्यता एवं आवेदन प्रपत्र को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5/3/2017

अपर सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना